विश्वास मत पर मतदान की तत्काल मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

कर्नाटक का नाटक ▶ अदालत ने सोमवार को सुनवाई से किया इन्कार

दो विधायकों ने याचिका दाखिल कर कुमारस्वामी सरकार पर बहुमत परीक्षण टालने का लगाया आरोप

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कर्नाटक में तीन दिनों से जारी खींचतान को देखते हुए सवाल है कि आखिर विश्वास प्रस्ताव पर मतदान कब होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल मतदान कराने की मांग करने वाली दो विधायकों की याचिका पर मंगलवार को विचार करने का फैसला किया है। शीर्ष कोर्ट ने सोमवार को तत्काल सुनवाई से इन्कार कर दिया। केपीजेपी के आर शंकर और निर्दलीय एच नागेश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कुमारस्वामी सरकार पर बहुमत परीक्षण को टालने का आरोप लगाया है।

- याचिकाकर्ताओं का कहना था कि मुख्यमंत्री कुमारस्वामी की सरकार सदन में बहुमत खो चुकी है
- विधायकों को आशंका, विश्वास मत पर मतदान टालने के लिए अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं कुमारस्वामी

सोमवार को याचिकाकर्ताओं का कहना था कि मुख्यमंत्री कुमारस्वामी की सरकार सदन में बहुमत खो चुकी है। वह लगातार विश्वास मत पर मतदान को टालने में लगे हुए हैं इसलिए कोर्ट कर्नाटक में सोमवार को ही विश्वास मत पर मतदान कराने का आदेश दे। लेकिन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि सोमवार को मामले पर सुनवाई करना संभव नहीं है। इस पर रोहतगी ने मंगलवार को सुनवाई का अनुरोध किया जिस पर पीठ ने विचार करने का आश्वासन दिया। देर शाम जारी सुप्रीम कोर्ट की सूची में विधायकों की याचिका मंगलवार को सुनवाई के लिए लगी है। यह भी कहा गया है कि राज्यपाल ने अनुच्छेद 175 के तहत विश्वास मत साबित करने का संदेश भेजा था लेकिन फिर भी मतदान नहीं कराया जा रहा और उसे लटकाए हुए हैं। विधायकों ने आशंका जताई है कि विश्वास मत पर मतदान टालने के लिए कुमारस्वामी खराब सेहत की इमरजेंसी के आधार पर अस्पताल में भी भर्ती हो सकते हैं। इन दो विधायकों के अलावा कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश गुंडू राव और मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने अलग से याचिका दाखिल कर कोर्ट से गत 17 जुलाई का आदेश स्पष्ट करने की मांग की है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि बागी विधायकों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने से छूट देने वाला कोर्ट का आदेश पार्टी व्हिप जारी करने के संवैधानिक अधिकार के आड़े आता है।

न अखबार पढ़ो, न टीवी देखो तो खुश रहोगे : सोमवार को वकील लिली थामस ने जब कोर्ट से समक्ष अखबार की खबर का जिक्र करते हुए कर्नाटक में विधायकों की खरीद-फरोख्त की बात कही और कोर्ट से मामले में दखल देने को कहा तो मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि मैडम आप न तो अखबार पढ़ें न ही टीवी देखें खुश रहेंगी। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने गंभीर होते हुए कहा कि आप एक वकील हैं आपको जो भी कहना है अर्जी दाखिल कर कहें।

लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने होंगे सेना के अगले उप प्रमुख

नई दिल्ली, प्रेट्र : पूर्वी सैन्य कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को सेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह लेफ्टिनेंट जनरल डी अंबू की जगह लेंगे जो 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

सूत्रों ने बताया कि नरवाने सेना प्रमुख पद के भी बड़े दावेदार होंगे, क्योंकि 31 दिसंबर को जनरल बिपिन रावत की सेवानिवृत्ति के समय वह सबसे वरिष्ठ कमांडर होंगे। अपने 37 साल की सेवा के दौरान वह आतंकवाद निरोधक अभियान के साथ-साथ अन्य सैन्य कार्रवाइयों में तैनात रहे हैं। वह जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय राइफल व ईस्टर्न फ्रंट के इनफेंट्री ब्रिगेड के कमांडर रह चुके हैं। इसी प्रकार सैन्य अभियान के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को पूर्वी कमांड का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल एएस क्लेर को दक्षिण-पश्चिम कमांड का जिम्मा सौंपा गया है। वह चेरिश मैथसन का स्थान लेंगे जो 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आइएस घुमन को मध्य कमांड का जनरल ऑफिसर कमांडिंग बनाया गया है। वह लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्ण की जगह लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह पश्चिम कमांड प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सुरिंदर सिंह की जगह लेंगे, जो 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वह फिलहाल 21 स्ट्राइक कॉर्प के कमांडर हैं।

धार्मिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न रोकने को दिशा निर्देश लागू करने से इन्कार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर विचार करने से मना कर दिया

प्रतीकात्मक

धार्मिक संस्थानों में महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए विशाखा दिशा निर्देश लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से सोमवार को इन्कार कर दिया। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह धार्मिक संस्थानों को विशाखा दिशा निर्देश के दायरे में कैसे ला सकता है।

वकील मनीष पाठक ने जनहित याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से धार्मिक संस्थानों जैसे- आश्रम, मदरसे और कैथोलिक संस्थान (जहां किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा या उपदेश होते हैं) में महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए विशाखा दिशा निर्देश लागू करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश खन्ना ने कहा कि धार्मिक स्थलों में भी यौन उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं। उन्होंने राम रहीम यौन शोषण मामले का हवाला देते हुए कहा कि अशिक्षित होने के कारण ज्यादातर महिलाएं आवाज नहीं उठा पातीं। मामले की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले पर विचार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि आपके पास कानूनी राहत के दूसरे विकल्प हैं। आप आपराधिक मुकदमा क्यों नहीं दाखिल करते।

याचिका में कहा गया था कि धार्मिक संस्थानों और स्थानों में भी महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए वैसे ही दिशा निर्देश जारी किए जाएं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए विशाखा मामले में जारी किए थे। कहा गया था कि धार्मिक संस्थान या स्थान भी महिलाओं के जीवन के अभिन्न अंग हैं। वहां वे काम भी करती हैं और कई बार आध्यात्मिक और मानसिक शांति के लिए ध्यान या उपदेश लेने जाती हैं। ऐसे में इन स्थानों को भी कार्यस्थल माना जाए और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए विशाखा मामले में जारी किए गए दिशा निर्देश इन जगहों पर भी लागू हों। ऐसा न होना महिलाओं के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। मांग थी कि सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह सभी धार्मिक संस्थानों आश्रम, मदरसों व अन्य के आंकड़े एकत्र करे, जहां पर महिलाएं अपनी आस्था और पूजा-अर्चना के लिए रहती हैं। वहां महिलाओं को मदद मुहैया कराई जाए तथा लैंगिक अपराधों को रोकने की व्यवस्था हो। वहां स्वतंत्र कमेटी बनाई जाए, जिसमें महिलाएं भी शामिल हों। साथ ही समय-समय पर ऐसे धार्मिक संस्थानों की राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों द्वारा मुआयना किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई अप्रिय घटना न घटे।

विशाखा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए थे विस्तृत दिशा-निर्देश : सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त 1997 को विशाखा केस में फैसला सुनाते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके मुताबिक यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए हर संस्थान में शिकायत समिति गठित करना जरूरी है। कई वर्षों बाद सरकार ने कोर्ट के दिशा निर्देशों के आधार पर ही कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने का कानून लागू किया।

आचार्यलु बोले, सूचना अधिकार कानून में संशोधन घातक

नई दिल्ली, प्रेट्र : पूर्व केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त (सीआइसी) श्रीधर आचार्यलु ने आरटीआइ कानून में संशोधन को सीआइसी की पीठ में छुरा घोंपने जैसा करार दिया है। उन्होंने कहा, संशोधन मौजूदा कानून के लिए घातक है। सांसद कानून में बदलाव खारिज करें। कई चर्चित मामलों में पारदर्शिता समर्थक आदेश देने वाले आचार्यलु ने कहा, प्रस्तावित बदलाव का अर्थ सूचना आयोगों की स्वायत्तता को गंभीरता पूर्वक नजरअंदाज करना है।

आचार्यलु ने कहा कि यह गलत कदम आयुक्तों को कोई भी सूचना प्रकाश में लाने का आदेश जारी करने में रीढ़हीन और शक्तिहीन बना देगा। वे सूचना का अधिकार अधिनियम के लक्ष्यों को लागू करने में विफल रहेंगे। सांसदों को लिखे गए पत्र में उन्होंने कहा है, 'यदि सांसद इस विधेयक को मंजूरी देते हैं तो सूचना आयुक्त राज्य और केंद्र सरकारों के वरिष्ठ बाबुओं के पिछलग्गू बनकर रह जाएंगे। मैं लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से इसका विरोध करने की अपील कर रहा हूं और इसे खारिज होते देखना चाहता हूं।' उन्होंने कहा कि ज्यादा जवाबदेही राज्यसभा के सदस्यों पर है। आचार्यलु ने कहा, 'यह आयुक्तों की हैसियत को कम कर देगा। वर्तमान में ये चुनाव आयुक्तों और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर हैं।'

सोनभद्र-कर्नाटक के बहाने रास में दिखी विपक्षी एकता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- विपक्ष ने दोनों मुद्दों पर केंद्र को घेरा, हंगामे के चलते तीन बार सदन हुआ स्थगित
- नारेबाजी के बीच विपक्षी दलों के सदस्यों ने आसन की ओर कागज भी उछाले

नई दिल्ली में सोमवार को राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने सोनभद्र में जमीन विवाद पर हुए नरसंहार मामले में जमकर हंगामा किया (टीवी ग्रैब)। प्रेट्र

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जमीन विवाद में हुई गंभीर हिंसा और कर्नाटक में विधायकों को तोड़कर सूबे में सत्ता पलटने की कोशिश का आरोप लगा रहे विपक्ष ने राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा कर सदन को तीन बार स्थगित कराया। इन दोनों घटनाओं के लिए भाजपा को कठघरे में खड़ा करते हुए विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में गरीब आम लोगों का शोषण ही नहीं हो रहा बल्कि उनके साथ हिंसा की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। जबकि कर्नाटक में सरकार गिराने का षड्यंत्र रचते हुए लोकतंत्र और संघीय ढांचे पर प्रहार किया जा रहा है। हंगामे और नारेबाजी के बीच सदस्यों ने आसन की ओर कागज भी उछाले।

राज्यसभा में मौजूदा सत्र के दौरान विपक्षी दलों की एकजुटता पहली बार इन दोनों मुद्दे पर मुखर होकर सामने आई। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होते ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, राजद, द्रमुक और आम आदमी पार्टी के सांसद सोनभद्र में गरीब आदिवासी समुदाय के लोगों की जमीन विवाद में की गई हत्या और कर्नाटक के राजनीतिक घटनाक्रम पर हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस ने कर्नाटक मुद्दे पर कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर चर्चा की मांग की तो तृणमूल, सपा, बसपा के साथ कांग्रेसी सोनभद्र हिंसा पर भी बहस चाहते थे।

विपक्षी सदस्यों की मांग पर सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि कर्नाटक का मसला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और दोनों पक्ष वहां गए हैं। इसीलिए सदन में इस पर कोई चर्चा नहीं कराई जा सकती। मगर विपक्षी सदस्यों ने इसके बाद भी नारेबाजी करते हुए अपनी मांग जारी रखी तब सभापति ने सदन को 12 बजे तक स्थगित कर दिया। सदन जब प्रश्नकाल के बाद शुरू हुआ तो विपक्षी सदस्यों ने फिर अपनी मांग पर जोर देते हुए सीट पर खड़े होकर हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति हरिवंश ने विपक्षी सदस्यों को ऐसा नहीं करने की सलाह देते हुए प्रश्नकाल जारी रखा और हंगामे में ही एक सवाल का जवाब भी हो गया। विपक्ष ने अपने मुद्दों को तवज्जो मिलते नहीं देख सदन में इस पर अपनी आक्रामकता बढ़ा दी और विरोधी खेमे के तमाम सांसद वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र की हत्या बंद करो से लेकर सोनभद्र के गरीबों को न्याय दो की नारेबाजी के साथ विपक्षी सांसदों के आक्रामक तेवर देख उपसभापति ने सदन दो बजे तक स्थगित कर दिया। राज्यसभा की कार्यवाही दो बजे शुरू हुई तो उपसभापति ने गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय को मानवाधिकार संशोधन बिल पेश करने की इजाजत दी मगर विपक्षी सदस्यों ने सोनभद्र और कर्नाटक के मुद्दे पर फिर वेल में आकर हंगामा शुरू कर दिया। इसी दौरान कुछ सदस्यों ने कागज भी उड़ाए जिसमें से एक कागज आसन पर बैठे हरिवंश पर भी जा गिरा। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने मानवाधिकार संशोधन बिल जल्दबाजी में पेश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब विधेयकों को स्थाई समिति को नहीं भेजा जा रहा तो सदस्यों को इसके अध्ययन के लिए दो दिन का समय मिलना चाहिए।

इस बीच उपसभापति ने द्रमुक के त्रिची शिवा समेत विपक्ष के दो सदस्यों को बिल में संशोधन पेश करने की इजाजत दी मगर शिवा ने कहा कि सदन में अव्यवस्था की स्थिति है। इस पर नाखुशी का इजहार करते हुए उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सदन में मर्यादाएं तोड़ी जा रही है और उन पर भी कागज फेंका गया। एकजुट विपक्ष इसके बाद भी नहीं माना और हंगामा होता देख सदन तीसरी बार तीन बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के उम्भा गांव में गत दिनों जमीन पर कब्जे को लेकर ग्राम प्रधान ने हथियारों से लैस साथियों के साथ ग्रामीणों पर हमला कर दिया था। इस दौरान दस लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। मामले के सियासी तूल पकड़ने के बाद प्रशासन ने मुख्य आरोपित समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

जस्टिस कुरैशी मामले में जवाब के लिए केंद्र ने मांगा दो हफ्ते का वक्त

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बांबे हाई कोर्ट के जज एए कुरैशी की मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बतौर मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति का मामला विचाराधीन है। केंद्र ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से दो सप्ताह का समय मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई दो अगस्त को होगी।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरूद्ध बोस की पीठ गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें जस्टिस कुरैशी को शीर्ष अदालत के कोलेजियम की सिफारिश के अनुसार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की मांग की गई थी। वह गुजरात हाई कोर्ट के वरिष्ठतम जज हैं और फिलहाल स्थानांतरण पर बांबे हाई कोर्ट में तैनात हैं। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि यह मामला विचाराधीन है। उन्होंने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय देने का आग्रह किया।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फाली नरीमन ने कहा कि उन्हें केंद्र द्वारा समय मांगने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह भी तथ्य है कि मेमोरैंडम ऑफ प्रोसीजर के अनुसार केंद्र की भूमिका सिर्फ 'एक विशिष्ट संदेश प्रेषक की' है और न्याय विभाग को सिर्फ नियुक्ति की घोषणा करनी है।

वरिष्ठ अधिवक्ता फाली नरीमन ने इसके प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि कोलेजियम द्वारा नाम की स्वीकृति दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामलों में केंद्र की बहुत अधिक भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र को कोर्ट को यह बताना चाहिए कि क्या उसने मेमोरैंडम ऑफ प्रोसीजर में निर्धारित प्रक्रिया के तहत गुजरात सरकार की राय मांगी थी।

प्रियंका की पैरोकारी कर रहे कांग्रेस नेताओं को नटवर ने दिया टॉनिक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पूर्व कांग्रेस नेता के बयान के बाद पार्टी की कमान प्रियंका को सौंपने की आवाज हो सकती है और मुखर
- नए नेतृत्व पर राहुल की लक्ष्मण रेखा है प्रियंका की राह में सबसे बड़ी बाधा

कांग्रेस के नए अध्यक्ष की खोज के बीच पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के बयान ने पार्टी की कमान प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंपने की वकालत करने वाले नेताओं को आवाज और मुखर करने का जज्बा दे दिया है। प्रियंका की पैरोकारी करने वाले नेताओं का मानना है कि किसी गैर गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर 24 घंटे में ही पार्टी में बिखराव की नटवर की टिप्पणी एक बार फिर गांधी परिवार के नेतृत्व का रास्ता खोल सकता है।

राहुल गांधी के उत्तराधिकारी के तौर पर गांधी परिवार के बाहर के चेहरे को ढूंढ़ने में संघर्ष कर रही कांग्रेस ने औपचारिक या अनौपचारिक तरीके से भले ही नटवर सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। मगर संसद के गलियारे में पार्टी के कई नेताओं ने अनौपचारिक बातचीत में माना कि नटवर के बयान के बाद प्रियंका को कांग्रेस का नेतृत्व सौंपने की मांग तेज हो सकती है। खासकर यह देखते हुए कि राहुल के उत्तराधिकारी की तलाश लगातार लंबी होती जा रही है। कार्यसमिति की बैठक में इस्तीफे की घोषणा के अब दो माह होने वाले हैं और कांग्रेस गांधी परिवार के बाहर के किसी चेहरे पर अभी तक सहमति नहीं बना सकी है। नए अध्यक्ष पर आम राय नहीं बन पाने की वजह से ही कार्यसमिति की बैठक बुलाकर राहुल का इस्तीफा स्वीकार कर नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया जा सका है। ऐसे में गांधी परिवार को नेतृत्व सौंपने के पक्षधर नेताओं के लिए नटवर का बयान सियासी टॉनिक बन सकता है।

वहीं प्रियंका ने इस बीच सोनभद्र हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से सियासी तौर पर आमने सामने की जंग में निडरता दिखा कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में नई उम्मीद भर दी है। नटवर सिंह के बयान को नोटिस लेते हुए कुछ सांसदों ने कहा, राहुल के इस्तीफे के बाद बीते दो माह में कांग्रेस में बेहद निराशा का दौर है मगर सोनभद्र में प्रियंका ने लड़ाई का जज्बा दिखा पार्टी को भविष्य की उम्मीद दिखाई है। भले ही अभी ज्यादा लोग खुलकर सामने न आएं मगर पार्टी के अधिकांश नेता नटवर सिंह के बयान से पूरी तरह सहमत हैं। वैसे श्रीप्रकाश जायसवाल, अनिल शास्त्री और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे कांग्रेस नेता अभिजीत मुखर्जी सरीखे पार्टी नेता प्रियंका के सोनभद्र जाने से पहले ही पार्टी की कमान उनको सौंपने की वकालत कर चुके हैं।

गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष बनने की स्थिति में कांग्रेस में 24 घंटे में बिखराव होने की नटवर सिंह की टिप्पणी इसलिए भी मायने रखती है कि फिलहाल वह कई वर्षों से कांग्रेस से बाहर हैं और उनके सीधे राजनीतिक हित नहीं हैं। तेल के बदले अनाज संबंधी वोल्कर रिपोर्ट में घिरने के बाद यूपीए सरकार से इस्तीफा देने से पहले नटवर सिंह का दशकों तक नेहरू-गांधी परिवार से करीबी रिश्ता रहा था।

नेतृत्व पर कांग्रेस में जारी असमंजस के बावजूद प्रियंका को राहुल का उत्तराधिकारी बनाने की राह फिलहाल कठिन है। खुद राहुल ने इस्तीफे की घोषणा करते हुए गांधी परिवार से बाहर के चेहरे को कांग्रेस की कमान सौंपने की बात कही थी। कार्यसमिति की 25 मई की बैठक में भी उन्होंने प्रियंका के नाम का प्रस्ताव करने की कोशिश नहीं करने की हिदायत दे दी थी। ऐसे में प्रियंका के नेतृत्व की पैरोकारी करने वाले नेताओं के लिए राहुल की खींची लक्ष्मण रेखा को पार करना फिलहाल बेहद मुश्किल है।

बंगाल में नाराज सरकारी वकीलों ने किया न्यायाधीश का बहिष्कार

जागरण संवाददाता, कोलकाता

पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव नगरपालिका मामले में सुनवाई से पहले ही नया विवाद खड़ा हो गया है। राज्य के नगर निकायों में विश्वास मत प्रस्ताव के संचालन को लेकर बंगाल सरकार के खिलाफ तीखी टिप्पणी से नाराज कलकत्ता हाई कोर्ट में गठित नए पैनल में शामिल वकीलों ने न्यायमूर्ति समाप्ति चट्टोपाध्याय की अदालत का बहिष्कार कर दिया है। वकीलों का कहना है कि वे उनकी अदालत में होने वाली किसी भी सुनवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। वहीं दूसरी तरफ चट्टोपाध्याय ने कहा,सरकारी पैनल द्वारा उठाया गया कदम मुख्य न्यायाधीश का अपमान है। वह भले एक बुरी न्यायाधीश हो सकती हैं, लेकिन इस कुर्सी पर बैठकर कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश की है। वकीलों की अनैतिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगी। अगर वह सरकार के सभी फैसलों से सहमत होकर फैसला करेंगी तो यह अन्याय होगा। बता दें कि जज की टिप्पणी से नाराज वकीलों ने राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता से शिकायत की थी। साथ ही कहा था कि वह न्यायमूर्ति चट्टोपाध्याय की अदालत में सुनवाई में उनके शामिल नहीं होने निर्णय संबंधी पत्र को कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचाएं।

> कम से कम अधिवक्ताओं को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश के पद का सम्मान करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ही यह फैसला करते हैं कि किस मामले की सुनवाई किस पीठ में होगी। उन्होंने इस मामले की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, जिसका मैं निर्वहन कर रही हूं।
> -न्यायमूर्ति समाप्ति चटोपाध्याय

सुनवाई के दौरान परेशान करने का आरोप : इससे पहले न्यायमूर्ति चट्टोपाध्याय के अदालत कक्ष में पहुंचने के बाद अधिवक्ताओं ने कहा था कि उन्होंने इस पीठ में किसी भी सुनवाई में हिस्सा नहीं लेने का निर्णय लिया है। पैनल में शामिल तृणमूल कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भास्कर वैश्य ने कहा कि जिस तरह से जज सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं को परेशान कर रही हैं, उस स्थिति में उनकी अदालत में आना संभव नहीं है।

यह है मामला : बीते शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान चट्टोपाध्याय ने बनगांव नगरपालिका में अविश्वास प्रस्ताव की मतदान प्रक्रिया को अनुचित करार दिया था। साथ ही नपा चेयरमैन शंकर आढ्य को जमकर फटकार लगाई थी। न्यायाधीश ने कहा था, 'नपा में बहुमत न होने के बाद भी आप कुर्सी पकड़े हुए हैं? आप इतने निर्लज्ज कैसे हो सकते हैं?'

हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अहमद पटेल की अर्जी पर अगस्त में सुनवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह कांग्रेस नेता अहमद पटेल की उस याचिका पर छह अगस्त को सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। यह मामला पटेल के 2017 में राज्यसभा के लिए चुने जाने से संबंधित है, जिसे भाजपा प्रत्याशी बलवंत सिंह राजपूत ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

गुजरात हाई कोर्ट ने पटेल की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें राजपूत की याचिका की विचारणीयता को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट के फैसले को पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2018 के हाई कोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इन्कार कर दिया था, जिसके मुताबिक, राजपूत के आरोपों पर सुनवाई की जरूरत है।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि अभी चल रही सुनवाई जारी रहेगी और पक्ष व साक्ष्य दर्ज कराए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तीन जनवरी को पटेल से कहा था कि वह राजपूत की चुनावी याचिका पर मुकदमे का सामना करें। राजपूत ने निर्वाचन आयोग द्वारा दो बागी विधायकों के मतों को अवैध करार देने को चुनौती दी थी। भाजपा नेता का दावा था कि अगर इन मतों की गिनती होती तो वह पटेल को हरा देते।

रास्ता साफ

उत्तर प्रदेश के लिए सीआरपीसी की धारा-438 में संशोधन का किया गया है प्रावधान, सुनवाई के दौरान जरूरी नहीं होगा आरोपित का मौजूद रहना

उप्र में अग्रिम जमानत के बिल को कोविंद की मंजूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण विधेयक को स्वीकृति दे दी है, इससे अग्रिम जमानत के प्रावधान को फिर से शामिल करने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस प्रावधान को 1976 में आपातकाल के दौरान हटा दिया गया था। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। बता दें कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों में अग्रिम जमानत का प्रावधान है।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, 'राष्ट्रपति ने दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक-2018 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक उत्तर प्रदेश के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-438 में संशोधन का प्रावधान करता है। संशोधन के मुताबिक अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान आरोपित का मौजूद रहना जरूरी नहीं होगा। साथ ही इसमें अग्रिम जमानत देने पर विचार करने से पहले अदालत द्वारा कुछ अनिवार्य शर्तें भी लगाए जाने का प्रावधान है।

गंभीर अपराधों में नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत : गंभीर अपराधों के मामले में अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उन मामलों में भी अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी जिनमें फांसी की सजा हुई हो। गैंगस्टर कानून के तहत आने वाले मामलों में भी अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी।

रामनाथ कोविंद फाइल फोटो

मायावती के विधेयक को केंद्र ने नहीं दी थी मंजूरी : राज्य सूचना आयोग ने भी 2009 में इस संशोधित विधेयक को लाने की अनुशंसा की थी। फिर 2010 में मायावती की तत्कालीन सरकार ने इस संबंध में एक विधेयक को मंजूरी दी थी और उसे स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा था, लेकिन केंद्र ने कुछ बदलावों के सुझावों के साथ इसे राज्य सरकार को वापस भेज दिया था।

योगी सरकार ने बनाई थी समिति : नए विधेयक को मंजूरी देने से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूर्व की खामियों एवं अन्य राज्यों में प्रावधान के प्रयोग पर अध्ययन के लिए एक समिति गठित की थी। इसकी अध्यक्षता प्रधान सचिव (गृह) ने की और इसमें महानिदेशक (अभियोजन) और कानून विभाग के अधिकारी शामिल थे। सीआरपीसी की धारा-438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए किसी तरह की शर्त लगाना कोर्ट के विवेक पर छोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक में पहले से ही कुछ शर्तें लगाई गई हैं।

बिना इजाजत देश नहीं छोड़ सकेगा आरोपित : एक अधिकारी के मुताबिक अग्रिम जमानत के लिए लगाई शर्तों में साफ कहा गया है कि आरोपित को जब कभी पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी, उसे पेश होना होगा। आरोपित मामले में शामिल किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से डरा-धमका नहीं सकता और आरोपित अदालत की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ सकता। अदालत को 30 दिनों के अंदर अग्रिम जमानत पर दिए गए आवेदन पर फैसला देना होगा। अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में ऐसा प्रावधान है।

पार्किंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में पार्किंग क्षेत्र प्रबंधन के मामले में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकार (ईपीसीए) की रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।

ईपीसीए ने अपनी रिपोर्ट में लाजपत नगर में पार्किंग क्षेत्र प्रबंधन पर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) के कार्यों की बड़ाई की है। जस्टिस अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता की पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील को इस रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया। ईपीसीए ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एसडीएमसी ने लाजपत नगर में प्रायोगिक परियोजना शुरू की है, जिसमें सेंट्रल मार्केट के वाणिज्यिक और उस इलाके की आसपास की आवासीय कॉलोनियां भी शामिल हैं। न्याय मित्र अपराजिता सिंह ने कहा कि एसडीएमसी ने भीड़भाड़ वाले लाजपत नगर मार्केट और आसपास की कॉलोनियों के लिए पार्किंग क्षेत्र प्रबंधन योजना तैयार कर अच्छा काम किया है।

कह के रहेंगे — माधव जोशी